<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

गोपाल कंसारा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी फलोदी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 83/2019</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>03.06.19</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल कंसारा पुत्र स्व. उदयलाल पता पोस्ट देवगढ–मदारिया जिला राजसंमद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.03.2019 में उसके द्वारा (1) कार्यालय तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द पत्र क्रमांक/सू.अ./2016/160 ता. 20.07.2016 में राजस्व रिकॉर्ड के वर्तमान दर्ज रिकॉर्ड में पंजीकृत एवं पंजीकृत मंदिर, आश्रम के नाम दर्ज भूमि की जमाबंदी एवं पटवारी रिपोर्ट प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से जरिये पत्रांक 338 दिनांक 27.05.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना में वर्ष, माह, तारीख व तहसील, पटवार मण्डल का उल्लेख नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि इस बाबत् कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2019/92 दिनांक 02.05.19 को प्रार्थी को लिखा गया। चूकि लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में स्पष्ट कर दिया गया अतः लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहंमत होते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।</td><td></td></tr>
</table>